अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं0 73 (X) / 2016–17

वाद का प्रकार :– विहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन– सह – विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या– 3 – खा0म0निति – 119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या – 914/रा0 दिनांक 09.12.1998 मे निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जॉच प्रारम्भ की गयी। जॉच के कम मे हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र0अं0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा आसना सीपा थाना नं0 159 खाता नं0 101 प्लॉट नं0 388 रकबा 05.50 एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद विहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 1 के पृष्ट संख्या 286 पर जमाबंदी रैयत झारखंड सरकार के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की माग करे तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलख दिनांक 26.9.2016 को उपस्थापित करे।

अंचल अधिकारी,
तोपचॉची
9.9.16

Scanned with CamScanner

तिथि	
13/8/20	अभिलेख उपस्थापित ! तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा संदिग्ध जमीन के संवंध में कोई भी राजस्व कागजात समर्पित नहीं किया गया है। इस संवंध में....गांगीया देवी.....द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थिति जो अभिलेख में संलग्न है। लगान वर्ष......................तक भुगतान किया गया है।

मौजा-आसनासिंघा.....थाना नं० .159...खाता नं० ...101....

प्लाट नं० 388.. रकवा..05 डी.....कुल....05 डी....

भूमि क्रमशः प्रतिवादी के नाम से दर्ज है। पंजी- II में प्रतिवादी के नाम पर सृजित जमावंदी में जांचोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई है:-

1. जमावंदी सृजित करने से संवंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया।
2. लगान निर्धारण/जमींदार से प्राप्त संवंधी पट्टा/ सादा हुकुनामा आदि कागजात नहीं पाया गया।
3. वंदोवस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
4. प्रतिवादी ने प्रतिवेदित भूमि से संवंधित कोई भी कागजात नहीं होने से इंकार किया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित जमावंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है।

अत: मौजा-आसनासिंघा......थाना नं० ..159...खाता नं० ....101....

प्लाट नं० 388.. रकवा....05 डी...कुल.................धूर, कुल......05 डी.....धूर,भूमि जो प्रतिवादी...सोमर....दास.... के नाम पर पंजी- II में दर्ज है, को विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (H) के तहत कायम जमावंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है ।

तदानुसार अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनवाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी
तोपचाँची।

अंचल अधिकारी
तोपचाँची।

Scanned with CamScanner

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– श्रीभट उराँव पिता –
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :–

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
आरागारी‍ —	157 —	101 —	388 —	0.56

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या......1........ पृष्ठ सं०–...286 पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 95-96
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– मालगुजारी सरकार
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– बन्दोबस्ती केस नं० 51(X) 95-96
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :– —
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती – S.C. नं. बन्दोबस्ती
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी) पंजी II
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	563672 —	7.1.96 —	95-96

(signatures)

Scanned with CamScanner

Banerjee
26/9/16

सेवा में,

श्रीमान अंचल अधिकारी,

तोपचाँची।

विषय:- वाद अभिलेख सं० 73 x 2016-17 के संबंध में।

महाशय,

सादर कहना है कि मैं सोमर दास, पिता स्व. बाबू लाल दास, ग्राम- आसनासिंघा, थाना-तोपचाँची, धनबाद का निवासी हूँ।

मौजा- आसनासिंघा, थानानं० 159 खातानं० 101 प्लौटनं० 388 रकबा 5 डी. भूमि से संबंधित कोई कागजात नहीं है।

उक्त भूमि पर मेरा निवास घर है जिसपर सपरिवार रह रहे हैं।

Put up in records
13/8/20

आपका विश्वासी,

दिनांक- 26.9.16

गंगिया (गंगीया देवी)

पति- स्व. छेदी दास

ग्राम- आसनासिंघा।

गंगीया देवी

Scanned with CamScanner

83

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं0 73 (X) /2016-17 (अन्तर्गत धारा - 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम

सोभर दास

पिता -

ग्राम - आसनारीगिंध। पो0

थाना - जिला - धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा आसनारीगिंध। थाना न0 159 खाता न0 101 प्लॉट न0 389 रकबा 05 डी0 एकड़ से संबंधित आपके नाम से हल्का न0 के पंजी II भाग 01 के पृष्ट 286 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध मे दिनांक 28·9·16, को समय 11.00 बजे पूर्वा0 मे उक्त भूमि का रिटर्न -I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म M एवं सरकार मे जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यो की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यायल प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध मे युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

तिथि -

स्थान - तोपचाँची

अंचल अधिकारी

तोपचाँची

9·9·16

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं0 73 (λ) /2016–17 (अन्तर्गत धारा – 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम,

सोमर दास

पिता –

ग्राम – आसनासोंघा पो0

थाना – जिला – धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा आसनासोंघा थाना नं0 159 खाता नं0 101 प्लॉट नं0 358 रकबा 05 डी0 एकड से संबंधित आपके नाम से हल्का नं0 के पंजी II भाग 01 के पृष्ठ 266 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध मे दिनांक 26.9.16 को समय 11:00 बजे पूर्वा0 मे उक्त भूमि का रिटर्न –I, भूमिबंदोबस्ती से संबधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदो, फार्म M एवं सरकार में जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यो की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यायल प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमावंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि :–

स्थान :– तोपचॉची

सोमर दास

कार्यालय अंचल अधिकारी तोपचाँची धनबाद

अंचल अधिकारी

तोपचॅची

9.9.16